नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	27-5-17 लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। अतः पत्रावली दि० 12-5-17 को राजस्व लोक अदालत कैम्प महूकलां पर पेश हो।	
	12-5-2017 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प महूकलां पर पेश हुई। अपीलार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी उपस्थित है। रेस्पोन्डेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी को सुना गया। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
4/2016	9.3.2016	12.5.2017

तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी ——अपीलार्थी

बनाम

सरबती देवी पत्नि शंकरलाल, मीना नि0 मांगरोल तह0 सपोटरा——रेस्पोन्डेन्ट

अपील विरूद्ध नामन्तरकरण संख्य 414 दि0 28.8.2011 ग्राम सालोदा

उपस्थित :— तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि ग्राम सालोदा जमाबंदी सं0 2068—71 के खाता 73 में ख0नं0 419 रकबा 0.41 है0 राजाराम, जयराम, बाबूलाल, श्रीराम पिता नरसी व मु0 सुआबाई बेवा नरसी हि0ब0हि0 3801/4100 जाति गूजर सा0 देह लोहडी धर्मपत्नि रूडया हि0 299/4100 जाति मीना निवासी भडक्या तह0 व0 जिला करौली खातेदार दर्ज है। खातेदार राजाराम, जयराम, बाबूलाल, श्रीराम पि0 नरसी व मु0 सुआबाई बेवा नरसी हि0ब0हि0 3801/4100 जाति गूजर सा0 देह ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोन्डेन्ट सरबती देवी पत्नि शंकरलाल जाति मीना निवासी मांगरोल तहसील सपोटरा जिला करौली को ग्राम सालोदा के ख0नं0 419 रकबा 0.41 है0 में से 316/4100 हिस्सा का विक्रय किया है जो भू खण्ड की श्रेणी में आता है जिसका पटवारी हलका महूकलां ने नामान्तरकरण संख्या 414 दिनांक 28.8.2011 दर्ज किया है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 3/63/ राज0/ग्रुप/2009 दिनांक 28.4.11 एवं परिपत्र दिनांक 25.10.2010 से भूखण्डों के नामान्तरकरण दर्ज किए जाने पर रोक लगाई गई है। पटवारी हलका द्वारा उपरोक्त परिपत्र द्वारा भूखण्डो के नामान्तरकरण दर्ज करने पर रोक होने के उपरान्त भी भूखण्ड का नामान्तरकरण दर्ज किया है जो नियमों के विपरीत है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। विक्रय किए गए भूखण्ड का उपयोग गैर कृषि कार्य में हो रहा है। उपरोक्त नामान्तरकरण की जानकारी भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 18.7.2014 को कार्यालय में रिपोर्ट पेश करने पर आई। धारा 5 मियाद अधिनियम की प्रार्थना अपील के साथ संलग्न है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि ग्राम सालोदा का नामान्तरकरण संख्या 414 दिनांक 28.8.2011 निरस्त फरमाया जावे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अपील के समर्थन में अपीलार्थी ने नकल नामान्तरकरण संख्या 414 दि0 28.8.2011, फोटोकोपी विक्रय पत्र दिनांक 21.1.2010, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2068 से 2071, सं0 2072 से 2075, फोटोकोपी परिपत्र क्रमांक एफ 3 (63) राज/ ग्रुप–1/2009 दिनांक 28.4.2011 पेश की है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ।

बहस अपीलार्थी सुनी गई।

अपीलार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। विक्रय पत्र दिनांक 18.8.2010 के अनुसार राजाराम, जयराम, बाबूलाल, कैलाश पुत्रान नरसी, सुआबाई बेवा नरसी जाति गूजर निवासी सालोदा ने रेस्पोन्डेन्ट सरबती देवी पत्नि शंकरलाल जाति मीना निवासी मांगरोल तहसील सपोटरा को ख0नं0 419 रकबा 0.4100 हैक्टर ग्राम सालोदा में से स्वयं के हिस्से में से हिस्सा 316/4100 भूमि विक्रय की है। इस विक्रय का नामान्तरकरण संख्या 414 दि0 28.8.2011 पटवारी हलका द्वारा सरबती देवी के पक्ष में खोला गया है जो राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 3 (63) राज/ ग्रुप–1/2009 दिनांक 28.4.2011 के विरूद्ध खोला गया है एवं इस परिपत्र के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 414 दिनांक 28.8.2011 ग्राम सालोदा निरस्त किया जाता है। पालना हेतु निर्णय की सत्यप्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को मूल नामान्तरकरण सहित प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.5.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी